संख्या : 04/2026/1666/छप्पन-2025-7/2017

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 07 जनवरी, 2026

विषय: दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को मा0 मुख्य न्यायाधीश की उड़ान सम्पादन हेतु किराये पर लिये गये वायुयान के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-155/ना0उ0नि0/ऑप्स-51/2023 दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से M/s VSR Ventures Pvt. Ltd. द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को मा0 मुख्य न्यायाधीश श्री भूषण रामकृष्ण गवई तथा उनकी टीम (09 लोग) को दिल्ली से प्रयागराज की उड़ान हेतु सेवाएँ प्राप्त किये जाने तथा इन्वाईस संख्या-VSR/FC/25-26/882 दिनांक 01 दिसम्बर, 2025 रू0 11,60,333.00 (रू0 ग्यारह लाख साठ हजार तीन सौ तैतीस मात्र) का भुगतान "राजस्व लेखा 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन क्रय तथा रखरखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" से कराये जाने की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2025-26 में M/s VSR Ventures Pvt. Ltd. द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को मा0 मुख्य न्यायाधीश श्री भूषण रामकृष्ण गवई तथा उनकी टीम (09 लोग) को दिल्ली से प्रयागराज की उड़ान हु सेवाएं प्राप्त किए जाने तथा इन्वाईस संख्या VSR/FC/25-26/882 दिनांक 01 दिसम्बर, 2025 द्वारा रू0 11,60,333.00 (रू0 ग्यारह लाख साठ हजार तीन सौ तैतीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(3) निदेशक नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक नागरिक उड्डयन बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) निदेशक नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 2025 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ईशान प्रताप सिंह)
विशेष सचिव

संख्या: 04/2026/1666(1)/छप्पन-2025-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभिनव कुमार चौरसिया)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।